राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	623/2018 गुल्लया बनाम प्रभाती हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हंसमहल में नियत कर पक्षकारान की सुनवाई करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2018 पारित कर वादी का वाद विधि के मंशा के अनुरूप नही होना धारित करते हुए वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि जाहिर नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद पेश होना तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के सन्दर्भ में किया गया विवेचन उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2018 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	